संख्या : 13/2016/1787/छप्पन-2015-43/2008

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 04 फरवरी , 2016

विषय : राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के दोनों इंजन PW207C, Sl. No. BHO410 & BHO411 को रिपेयर एवं हॉट सेक्शन इंसपेक्शन (एच0एस0आई0) कराये जाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 742/ना030नि0/इंजी/ए-2-2015(पी), दिनांक 07-12-2015 के सन्दर्भ में एवं शासनादेश संख्या- 1754/छप्पन-14-43/14, दिनांक 18-11-2014, शासनादेश संख्या- 9/2015/244/छप्पन-15-43/14, दिनांक 17-03-2015 तथा शासनादेश संख्या- 82/2015/1310/छप्पन-15-43/14, दिनांक 14-10-2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के दोनों इंजन PW207C, Sl. No. BHO410 & BHO411 को रिपेयर एवं हॉट सेक्शन इंसपेक्शन (एच0एस0आई0) कराये जाने हेतु रूपये 32,20,000/- , रूपये 2,18,23,938/- एवं रूपये 60,71,356/- अर्थात् कुल रूपये 3,16,15,294/- (रूपये तीन करोड़ सोलह लाख पन्द्रह हजार दो सौ चौरानवे मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माता फर्म को भुगतान के उपरान्त निर्माता फर्म मैसर्स प्राट एण्ड व्हिटनी कनाडा (एस0ई0ए0) प्रा0लि0, सिंगापुर द्वारा अवगत कराया गया है कि त्रुटिवश फायनल इंवायस में यू0एस0ए0 डॉलर 10000/- का कन्सेशन एमाउण्ट दो बार घटा दिया था, जिस कारण पुन: यू0एस0 डॉलर 10000 की मॉग फर्म द्वारा की गई है, जो भारतीय मुद्रा में रूपये 68/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से रूपये 6,80,000/- होता है, का भुगतान फर्म को किया जाना है। अत: राज्यपाल महोदय राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर- वी0टी0-यू0पी0एल0 के दोनों इंजन PW207C, Sl. No. BHO410 & BHO411 के अनुरक्षण हेतु फर्म द्वारा भेजे गये फायनल इंवायस के आधार पर रूपये 6,80,000/- (रूपये छ: लाख अस्सी हजार मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त इंगित शासनादेशों में इंगित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

3- उक्त स्वीकृति एवं पूर्व में दी गई स्वीकृतियों अर्थात् कुल स्वीकृत धनराशियों के समायोजन की सूचना दिनांक 31-3-2016 तक शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी। आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक - 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 के अशा0 संख्या- ई-7-98/दस-2016, दिनांक 03 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( एस0के0 रघुवंशी )
सचिव।

पृ0सं0 : 13/2016/1787(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( कृष्ण चन्द्र राय शर्मा )
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।